न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 42/2011

प्रार्थी

जगदीशचन्द पुत्र हनुमानदास
जाति अग्रवाल निवासी चौहटन
हाल बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1.ग्राम पंचायत चौहटन जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन
2.श्रीमती शान्ति देवी पत्नि
रामेश्वरदास के कायम मुकाम–
2/1.पुष्पा पुत्री रामेश्वरदास
पत्नि रामनिवास गोयल निवासी
अग्रवालों का मोहल्ला,बाड़मेर
2/2.निर्मला देवी पुत्री रामेश्वरदास
पत्नि रामकिशोर बिन्दल केयर आफ
रामकिशोर,प्रमोद कुमार अग्रवालों का
मोहल्ला,बाड़मेर
2/3.सारादेवी पुत्री रामेश्वरदास
पत्नि बाबुलाल गुप्ता केयर आफ
बाबुलाल अरविन्द कुमार गुप्ता
11/253 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड
जोधपुर
2/4.पुरूषोतमदास पुत्र रामेश्वरदास
बिन्दल 18/631 चौपासनी हाऊसिग
बोर्ड,जोधपुर
2/5.ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरदास के
कायम मुकाम–
2/5/1.मांगीदेवी पत्नि ओमप्रकाश
2/5/2.नन्दकिशोर पुत्र ओमप्रकाश
2/5/3.मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
2/5/4.महेश पुत्र ओमप्रकाश
2/5/5.हितेश पुत्र ओमप्रकाश
सिंहल सलेक्शन के पास वाली गली
सरदारपुरा प्रथम बी रोड जोधपुर
2/6. वासुदेव पुत्र रामेश्वरदास
सिंहल नृसिंह मन्दिर के पास न्यू
अम्बिका ज्वेलर्स के सामने बालोतरा
तहसील पचपदरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 2878 दिनांक 19.04.2011 जो ग्राम पंचायत,चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 शान्ति देवी के नाम जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थितः— 1. पुरूषोतम सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रेमाराम सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02/1 से 2/4 व 06 की ओर से।
3 अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित, 2/5/1. से 2/5/5 एक तरफा

निर्णय दिनांक 07.02.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 शान्ति देवी पत्नि रामेश्वरदास जाति अग्रवाल निवासी हाल बालोतरा ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम चौहटन के मोहल्ला पुलिस थाना वाली गली में हमारा पुश्तैनी रहवासी कब्जा सुदा मकान आया हुआ है,जिसका पट्टा जारी करवाने का कष्ट करावें। इस पर ग्राम पंचायत चौहटन ने मिसल कायम कर अप्रार्थीनी संख्या 02 शान्ति देवी के नाम नियम 157(1)(ख) के तहत 200/—वसूल कर पट्टा संख्या 2878 दिनांक 19.04.2011 को जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि उसकी एंव अप्रार्थीनी संख्या 02 की संयुक्त एंव पुश्तैनी भूमि है,जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने इस पट्टा विलेख की भूमि को संयुक्त पुश्तैनी भूमि होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत चौहटन से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या 02/1 से 02/4 व 06 के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता एंव अप्रार्थीनी संख्या 02 की संयुक्त सम्पति का पुश्तैनी मकान मौजा चौहटन में पुलिस थाना की गली में आया हुआ है। यह पुश्तैनी मकान प्रार्थी के दादा व अप्रार्थीनी संख्या 02 के श्वसुर खीमराज ने आवास हेतु बनाया था। स्व. खीमराज के चार पुत्र विरधीचन्द,मुन्नालाल,हनुमानदास व सेवाराम थे। मुन्नालाल व सेवाराम संयुक्त परिवार से खीमराज के जीवन काल में ही पृथक होकर पाली व बालोतरा जाकर आबाद हो गये। खीमराज के दोनो पुत्र विरधीचन्द व हनुमानदास साथ रहे। स्व. विरधीचन्द के कोई पुत्र नहीं था तथा हनुमानदास के दो पुत्र रामेश्वरदास व प्रार्थी हुए।विरधीचन्द के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था इसलिये हनुमानदास ने रामेश्वरदास—अप्रार्थीनी संख्या 02 के पति को गोद लिया और अन्त तक दोनो भाइयों का परिवार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

शामिल रहा। पक्षकारान प्रार्थी तथा अप्रार्थीनी संख्या 02 के पति स्व.रामेश्वदास को कस्बा चौहटन में पुलिस थाना की गली में स्थित यह पैतृक मकान विरधीचन्द व हनुमानदास के देहान्त पर संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त हुआ है जिससे यह मकान स्व. रामेश्वरदास व प्रार्थी की संयुक्त पैतृक सम्पति है। जिस पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीनी संख्या 02 का संयुक्त रूप से कब्जा एंव स्वामित्व था,इसक़े बावजूद अप्रार्थीनी संख्या 02 ने अपने अकेले के नाम से ग्राम पंचायत से मिल कर पट्टा दिनांक 19.04.2011 को जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने नियम 145 से 157 की कोई पालना नहीं की है। अप्रार्थीनी ने किस तारीख को ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया, वह तारीख अंकित नहीं है। अप्रार्थीनी ने अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण अकित नही किया। ग्राम पंचायत ने विधिवत आपतिया आमंत्रित करने का जो नोटिस जारी किया उस नोटिस की प्रतिया किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है,स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मौक कमेटी का गठन नही किया हैं।नियम 157(1)(ख) के तहत यह पट्टा जारी किया गया है जबकि इस नियम के अन्तर्गत 50 वर्षो से अधिक पूर्व निर्मित मकानो हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 अकेले का इस भूमि पर कब्जा नही होकर संयुक्त कब्जा है। ग्राम पंचायत चौहटन ने पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जॉच नहीं कर अप्रार्थीनी को फायदा पहुॅचाने की नीयत से पंचायत नियमो को ताक में रखकर, प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी एंव कब्जा सुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 अकेले के नाम पट्टा जारी किया गया है,जो गलत होने से पट्टा को निरस्त किया जाए।

5. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 02/1 से 02/04 एंव 06 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थीनी संख्या 02 का पुश्तैनी मकान बना हुआ था। जिस पर पिछले 50 वर्षो से अधिक अप्रार्थीनी संख्या 02 व उसके पति का भौतिक कब्जा था। अप्रार्थीनी संख्या 02 को जो भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, वह अप्रार्थीनी के पुराने कब्जे का है। अप्रार्थीनी शान्ति देवी द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुद मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय नक्शा पेश किया था। जिस पर पत्रावली कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपति पर ग्राम पंचायत चौहटन ने सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य–सबूत पेश नहीं करने के फलस्वरूप प्रार्थी की आपति अस्वीकार की गई। तत्पश्चात् मौका कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीनी संख्या 02 को नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी का इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व भी हासिल नहीं है।

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

जिससे प्रार्थी निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्राथी की निगरानी निराधार,गलत एंव विधि विरूद्ध होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत चौहटन से प्राप्त रिकॉर्ड एंव तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि जारी पट्टा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीनी की संयुक्त सम्पति पुश्तैनी मकान है, जिस पर पर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 शान्ति देवी को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का होने से इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीनी संख्या 02 के हक मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 शान्ति देवी ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र के साथ नक्शा, प्रार्थीनी के पति के नाम का बिजली का बिल वर्तमान खाता संख्या 2101–0064 दिनांक 04.8.2010,जलदाय विभाग द्वारा जारी बिल खाता संख्या 470 दिनांक 26.3.2010 एंव ग्राम पंचायत की जल कर संग्रह पुस्तिका संख्या 139 की रसीद संख्या 17 दिनांक 02.04.1967 की प्रतियां जो अप्रार्थीनी के पति स्व.रामेश्वरदास के नाम जारी हुई को भी पेश किया गया हैं। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल संख्या 04 कायम की गई है। मौका कमेटी से दिनांक 05.11.2010 को मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। इस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर दिनांक 10.11.2010 को अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। प्रार्थी जगदीशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत आपति पर ग्राम पंचायत चौहटन ने रहवासी मकान के चाहे गये पट्टे के बारे में अपने सबूत निवास स्थल प्रमाण पत्र,परिवार राशन कार्ड ,बिजली,पानी कनेक्शन के बिल अथवा पुश्तैनी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया मगर प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं करने पर आपति का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर करना उचित नहीं मानते हुए प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.04.2011 को नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस पर अप्रार्थीनी संख्या 02 को दिनांक 19.04.2011 को पट्टा संख्या 2878 जारी किया गया। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। विवादग्रस्त पट्टा की भूमि के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्बन्ध में तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मकान निमित होने जिसके आगे दो कमरे मय बरामदा व बीच में खुला चौक एंव पीछे की तरफ पत्थर की दीवार व छत टीन की चदर के दो कमरे एंव पिछले 50 वर्ष से रामेश्वरदास पुत्र हनुमानदास गोद पुत्र विरधीचंद कौम अग्रवाल का कब्जा एंव रहवास होना और रामेश्वरदास की करीब 20 वर्ष पूव मृत्यु होना व इनके पश्चात् उनके पुत्र व पत्नि का आवास व कब्जा व वर्तमान में मकान का कब्जा वासुदेव पुत्र रामेश्वरदास व श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि रामेश्वरदास के पास होना बताया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत चौहटन ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीनी संख्या 02 के हक में नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा संख्या 2878 दिनांक 19.04.2011 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर